भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1855**
31 जुलाई 2025 को उत्तर देने के लिए

## प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण सब्जियों की बर्बादी

**1855. डा. राजकुमार सांगवान:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** क्या विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण भारत में बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं;

**(ख)** यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

**(ग)** विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बागपत लोग सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण के लिए कार्यान्वित की गई/ कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और उनके अंतर्गत हुई प्रगति तथा उनके लिए आवंटित राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रवनीत सिंह)**

**(क) और (ग):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स) के माध्यम से वर्ष 2020-22 के संदर्भ में वर्ष 2022 में "भारत में कृषि उपज के फसलोत्तर नुकसान का निर्धारण करने हेतु अध्ययन" नामक एक अध्ययन करवाया था। अध्ययन में फलों और सब्जियों के अनुमानित नुकसान का विवरण इस प्रकार है:

| श्रेणी | अनुमानित हानि (%) |
|---|---|
| फल | 6.02-15.05 |
| सब्ज़ियाँ | 4.87-11.61 |

एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता के सृजन और विस्तार में सहायता करता है, जिसमें खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण शामिल है, ताकि फसलोत्तर नुकसान को कम किया जा सके और प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाया जा सके।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत योजनाएं इस प्रकार हैं:

i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने फसलोत्तर अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण के लिए वर्ष 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) लागू की है ताकि फसलोत्तर नुकसान में कमी, मूल्य वर्धन में वृद्धि आदि सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके । पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं हैं ( i ) मेगा फूड पार्क (घटक को केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के प्रावधान के साथ दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दिया गया है) (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना (iii) कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना , (iv) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण (इस घटक को 1 अप्रैल वर्ष 2021 से बंद कर दिया गया है) (v) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का निर्माण / विस्तार और (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय , खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना के लिए उद्यमियों को अनुदान के रूप में ऋण-आधारित वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के

अलावा , फसलोत्तर नुकसान को कम करने और प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने के लिए शीतगृहों की स्थापना भी शामिल है। जून वर्ष 2025 तक, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 1601 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1133 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं । पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आवंटित राज्यवार राशि **अनुबंध-I** में दिया गया है।

ii) एमओएफपीआई भारत के प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की सहायता करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना- "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)"कार्यान्वित करता है। इस योजना का बजट परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है और योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंर्तगत कुल 170 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना से देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में 35.00 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। इस योजना के अंर्तगत अब तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के लगभग 3.39 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं । पीएलआईएसएफपीआई के अंर्तगत राज्यवार निधि आवंटन लागू नहीं है।

iii**)** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन हेतु वित्तीय**,** तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भार भारत अभियान पहल के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित " प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" को लागू कर रहा है। यह योजना 10**,**000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक प्रचालनरत है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है। बागपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश राज्य में हुई प्रगति का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है । 30 जून वर्ष 2025 तक, योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3791.04 करोड़ रुपये का केंद्र का अंश जारी किया जा चुका है, जिसमें से 410.97 करोड़ रुपये बागपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश राज्य को जारी केन्द्रांश निधि का राज्यवार और वर्षवार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है ।

*****

**अनुबंध-I**

**दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तर हेतु प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण सब्जियों की बर्बादी के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1855 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I**

| पीएमकेएसवाई के अंर्तगत पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या | | |
|---|---|---|
| **राज्य** | **स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या** | **स्वीकृत अनुदान सहायता ( करोड़ रुपये में)** |
| आंध्र प्रदेश | 36 | 330.26 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1 | 9.13 |
| असम | 2 | 13.9 |
| बिहार | 4 | 59 |
| छत्तीसगढ | 1 | 10 |
| गोवा | 1 | 4.80 |
| गुजरात | 19 | 133.87 |
| हरियाणा | 16 | 120.64 |
| हिमाचल प्रदेश | 6 | 55.21 |
| जम्मू और कश्मीर | 2 | 7.87 |
| कर्नाटक | 9 | 59.71 |
| केरल | 8 | 57.59 |
| मध्य प्रदेश | 9 | 61.28 |
| महाराष्ट्र | 27 | 226.95 |
| मेघालय | 2 | 58.51 |
| नागालैंड | 2 | 15.41 |
| ओडिशा | 7 | 45.53 |
| पंजाब | 8 | 54.31 |
| राजस्थान | 6 | 80.86 |
| तमिलनाडु | 23 | 155.86 |
| तेलंगाना | 10 | 65.98 |
| उत्तर प्रदेश | 13 | 112.81 |
| उत्तराखंड | 7 | 63.43 |
| पश्चिम बंगाल | 7 | 31.51 |
| **कुल योग** | **226** | **1834.41** |

| पीएमकेएसवाई की घटक योजना अर्थात ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत बागपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **योजनाएं** | **राज्य** | **ज़िला** | **परियोजना का नाम** | **क्षेत्र** | **परियोजना लागत** | **स्वीकृत अनुदान सहायता ( करोड़ रुपये में)** |
| 1 | ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी) | उत्तर प्रदेश | मेरठ | जेसीएल एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | आलू, गाजर, पेठा, लौकी, परवल, फूलगोभी | 47.99 | 15 |

**अनुबंध II**

**दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तर हेतु प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण सब्जियों की बर्बादी के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1855 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II**

**उत्तर प्रदेश राज्य के लिए :**

- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 645.88 करोड़ रुपये की राशि के साथ 17,818 आवेदनों को मंजूरी दी गई है।
- 8571 स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए 25.97 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी स्वीकृत की गई।
- 14 इन्क्यूबेशन केंद्रों को मंजूरी दी गई है
- क्षमता निर्माण: 32 मास्टर प्रशिक्षकों, 2 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों और 1255 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया

**बागपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु :**

| **बागपत** | **गाजियाबाद** | **मेरठ** |
|---|---|---|
| क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 2.18 करोड़ रुपये की राशि के साथ 49 आवेदनों को मंजूरी दी गई है | क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 6.69 करोड़ रुपये की राशि के साथ 100 आवेदनों को मंजूरी दी गई है | क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 2.81 करोड़ रुपये की राशि के साथ 55 आवेदनों को मंजूरी दी गई है |
| 55 स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए 0.21 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी स्वीकृत की गई | 298 स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए 1.15 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी स्वीकृत की गई | 70 स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए 0.15 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी स्वीकृत की गई |
| कोई इन्क्यूबेशन केंद्र स्वीकृत नहीं | कोई इन्क्यूबेशन केंद्र स्वीकृत नहीं | 1 इनक्यूबेशन केंद्र स्वीकृत |
| किसी भी लाभार्थी को प्रशिक्षित नहीं किया गया है | क्षमता निर्माण: 54 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया | क्षमता निर्माण: 2 जिला स्तरीय प्रशिक्षक और कोई लाभार्थी प्रशिक्षित नहीं |

**अनुबंध-III**

**दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तर हेतु प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण सब्जियों की बर्बादी के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1855 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-III**

**पीएमएफएमई योजना के अंर्तगत 30 जून 2025 तक जारी की गई केंद्र के हिस्से की राशि का वर्ष-वार और राज्य वार विवरण**

| क्र.सं. | राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र | 2020- 21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंदमान और निकोबार द्वीप | 1.82 | 1.92 | 0.34 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 4.47 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 34.98 | 25.12 | 18.57 | 46.25 | 10.91 | 50.00 | 185.83 |
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | 0.15 | 7.34 | 0.03 | 11.09 | 8.00 | 10.00 | 36.62 |
| 4 | असम | 16.71 | 15.96 | 18.12 | 43.88 | 68.50 | 35.00 | 198.16 |
| 5 | बिहार | 9.05 | 13.59 | 1.61 | 88.65 | 101.50 | 75.00 | 289.39 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0.40 | 1.06 | 0.44 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 2.21 |
| 7 | छत्तीसगढ | 7.04 | 8.88 | 1.44 | 7.69 | 10.00 | 10.00 | 45.04 |
| 8 | दादर तथा नागर हवेली और दमन तथा दीव | 0.40 | 0.89 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
| 9 | दिल्ली | 0.50 | 0.32 | 1.15 | 0.50 | 4.25 | 0.00 | 6.71 |
| 10 | गोवा | 0.41 | 3.14 | 1.81 | 2.08 | 2.50 | 5.00 | 14.94 |
| 11 | गुजरात | 16.55 | 8.53 | 1.98 | 7.02 | 15.00 | 12.00 | 61.08 |
| 12 | हरियाणा | 3.23 | 3.98 | 5.46 | 11.25 | 25.00 | 25.00 | 73.93 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 5.19 | 7.64 | 13.75 | 57.12 | 4.00 | 25.00 | 112.70 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 8.19 | 1.50 | 2.16 | 2.68 | 25.75 | 6.28 | 46.55 |
| 15 | झारखंड | 2.69 | 1.74 | 0.00 | 9.79 | 20.00 | 25.00 | 59.22 |
| 16 | कर्नाटक | 32.47 | 21.48 | 31.07 | 27.76 | 60.00 | 50.00 | 222.77 |
| 17 | केरल | 10.13 | 3.46 | 3.99 | 29.52 | 40.00 | 40.00 | 127.10 |
| 18 | लद्दाख | 0.45 | 0.93 | 2.32 | 0.36 | 3.00 | 0.00 | 7.06 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.40 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 20.62 | 9.93 | 9.98 | 44.97 | 78.04 | 50.00 | 213.53 |
| 21 | महाराष्ट्र | 27.58 | 26.60 | 76.87 | 120.00 | 195.20 | 100.00 | 546.25 |
| 22 | मणिपुर | 3.14 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.23 |
| 23 | मेघालय | 2.69 | 3.04 | 0.39 | 1.00 | 7.25 | 10.00 | 24.37 |
| 24 | मिजोरम | 7.73 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 |
| 25 | नागालैंड | 6.64 | 5.90 | 0.41 | 3.97 | 3.75 | 0.00 | 20.67 |
| 26 | ओडिशा | 30.37 | 29.93 | 2.97 | 15.46 | 21.86 | 40.00 | 140.58 |
| 27 | पुदुचेरी | 1.16 | 0.79 | 0.68 | 2.46 | 3.00 | 1.35 | 9.45 |
| 28 | पंजाब | 5.76 | 9.36 | 16.31 | 30.65 | 87.80 | 50.00 | 199.88 |
| 29 | राजस्थान | 14.51 | 13.44 | 4.79 | 16.98 | 8.50 | 25.00 | 83.22 |
| 30 | सिक्किम | 5.12 | 1.51 | 1.75 | 0.91 | 7.50 | 10.00 | 26.79 |
| 31 | तमिलनाडु | 12.95 | 3.23 | 24.02 | 72.00 | 100.00 | 75.00 | 287.19 |
| 32 | तेलंगाना | 33.16 | 16.88 | 2.31 | 15.40 | 60.00 | 75.00 | 202.75 |
| 33 | त्रिपुरा | 3.11 | 10.35 | 0.15 | 1.13 | 3.75 | 10.00 | 28.49 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 36.29 | 24.08 | 21.06 | 79.55 | 150.00 | 100.00 | 410.98 |
| 35 | उत्तराखंड | 6.03 | 2.26 | 2.45 | 8.24 | 15.00 | 10.00 | 43.97 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 2.50 | 25.00 | 33.78 |
| | **कुल** | **367.61** | **297.44** | **268.52** | **765.30** | **1142.56** | **949.63** | **3791.04** |

****